भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 2973

गुरूवार, 13 अगस्त, 2026/22 श्रावण, 1948 (शक)

गुजरात और महाराष्ट्र में रोज़गार सृजन

2973 श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाई:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान विशेषकर गुजरात और महाराष्ट्र में विभिन्न केन्द्रीय रोजगार एवं आजीविका योजनाओं के अन्तर्गत रोजगार सृजन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो दोनों राज्यों में लाभार्थियों का जिला-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान इन योजनाओं के अन्तर्गत जारी और उपयोग की गई धनराशि का जिला-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) उन राज्यों में औपचारिक रोजगार को बढ़ावा देने, सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाने, कौशल-संबद्ध नियोजन में सुधार तथा सतत रोजगार के अवसरों को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): भारत में रोजगार और बेरोज़गारी के आधिकारिक अनुमानों को आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से प्राप्त किया जाता है जो सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से किया जा रहा है। पीएलएफएस की कार्यप्रणाली में जनवरी 2025 से संशोधन किया गया था, जिसके प्रमुख संशोधनों में नए शुरू किए गए रोजगार और बेरोजगारी के मासिक अनुमान शामिल है।

नवीनतम पीएलएफएस रिपोर्ट 2025 के अनुसार, गुजरात राज्य में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के रोजगार को दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2022 में 59.1% से बढ़कर वर्ष 2025 में 64.6% हो गया है और बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 1.8% से घटकर वर्ष 2025 में 0.9% हो गई है। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य के लिए अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2022 में 56.2% से बढ़कर वर्ष 2025 में 58.0% हो गया है और बेरोजगारी दर (यूआर) वर्ष 2022 में 3.4% से घटकर वर्ष 2025 में 2.4% हो गई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार गुजरात और महाराष्ट्र राज्यों सहित देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

केंद्र सरकार की चयनित योजनाओं के माध्यम से गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में सृजित रोजगार का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

योजना के प्रावधान के अनुसार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत बजटीय आवंटन और व्यय किए गए हैं और यह https://www.indiabudget.gov.in/doc/eb/allsbe.pdf पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, सरकार विभिन्न योजनाओं, जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रोत्साहन योजना (एनएपीएस) तथा देश के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) के अंतर्गत कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों/महाविद्यालयों/संस्थानों आदि के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से कौशल, पुनः-कौशल (रि-स्किल) और उन्नत-कौशल (अप-स्किल) प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए स्किल इंडिया मिशन (एसआईएम) भी लागू कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करना तथा उन्हें उद्योग-संबंधित कौशलों से सुसज्जित करना है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित 10 नई/उभरती प्रौद्योगिकियों में रोजगारपरकता के लिए आईटी कर्मियों की री-स्किलिंग/अप-स्किलिंग के लिए 'फ्यूचर स्किल्स प्राइम' कार्यक्रम शुरू किया है।

एमएसएमई मंत्रालय ने दिनांक 01.07.2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू किया है जिसका उद्देश्य उद्यमों को औपचारिक रूप देना, सरकारी सहायता तक पहुँच का विस्तार करना और एमएसएमई ईकोसिस्टम को सुदृढ़ करना है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल में कुल 8.9 करोड़ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पंजीकृत किए गए हैं जिसमें उद्यम सहायता प्लेटफॉर्म (यूएपी) भी शामिल है तथा जिससे देशभर में 39 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है।

साथ ही, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यांवित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

पीएमवीबीआरवाई एक मांग-आधारित योजना है। गुजरात राज्य में योजना के कार्यान्वयन के बाद से जून 2026 तक, योजना के भाग “क” के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले 87,381 कर्मचारियों को 49.69 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है, जबकि योजना के भाग “ख” के तहत 5794 लाभार्थी प्रतिष्ठानों को 163.14 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, महाराष्ट्र राज्य में, जून 2026 तक, योजना के भाग “क” के तहत पहली बार रोजगार पाने वाले 2.49 लाख कर्मचारियों को 149.42 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की गई है, जबकि योजना के भाग “ख” के तहत 12,704 लाभार्थी प्रतिष्ठानों को 435.95 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों की जानकारी, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि सहित करियर से संबंधित सेवाएं एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

'सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020' दिनांक 21.11.2025 से लागू हो गई है जिसका उद्देश्य मौजूदा सामाजिक सुरक्षा कानूनों को एक ही ढांचे में लाकर उन्हें सरल बनाना है और सभी प्रकार के कामगारों जिनमें संगठित, असंगठित, गिग, प्लेटफ़ॉर्म और स्वरोज़गार से जुड़े कामगार भी शामिल हैं, को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, सामाजिक सुरक्षा लाभों तक सबकी पहुँच सुनिश्चित करना, विभिन्न प्रकार के रोजगारों और राज्यों के बीच लाभों के सहज हस्तांतरण को बढ़ावा देना, केंद्र और राज्य सरकारों को उपर्युक्त योजनाएँ बनाने में मदद करना, बेहतर सेवा वितरण के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना और सरकारों, नियोक्ताओं व समूहकों की भूमिकाओं को स्पष्ट तौर पर तय करना शामिल है ताकि बदलते श्रम बाज़ार के अनुरूप कार्य बल को व्यापक सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।

अनुबंध

राज्य सभा के दिनांक 13.08.2026 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2973 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

गुजरात और महाराष्ट्र राज्य में केंद्रीय योजनाओं के तहत रोजगार सृजन/लाभार्थी

(आंकड़े लाख में)

क्र.सं.	**योजना/कार्यक्रम का नाम**	**गुजरात**	**महाराष्ट्र**
1	प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) (08.04.2015 से 26.06.2026 तक ऋण खातों की संख्या (अनंतिम)	178.86	470.29
2	प्रधानमंत्री पथ विक्रेता आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) (वित्त वर्ष 2021-22 से वित्त वर्ष 2025-26 तक स्वीकृत ऋणों की संख्या)	6.95	11.61
3	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) (वित्त वर्ष 2008-09 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अनुमानित रोजगार संख्या)	3.19	4.50
4	विकसित भारत–रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन (ग्रामीण) (वीबी-जी राम जी) (01 जुलाई, 2026 से 23 जुलाई, 2026 की अवधि के दौरान सृजित व्यक्ति दिवस)	2.44	17.38
5	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) (इसकी शुरूआत के बाद से जनवरी, 2026 तक स्थापित अभ्यर्थियों की संख्या)	2.59	2.55

स्रोत: संबंधित मंत्रालय